न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2023 दायर दिनांक: 10.01.2023

उनवान

1. रामलाल पि. कंवरलाल जाति दांगी नि. तुमडियाखेडी तहसील पिडावा
2. बालाराम पि. कंवरलाल जाति दांगी नि. तुमडियाखेडी तहसील पिडावा
3. कंचनबाई पुत्री कंवरलाल जाति दांगी नि. तुमडियाखेडी तहसील पिडावा
4. धापूबाई बेवा कंवरलाल जाति दांगी नि. तुमडियाखेडी तहसील पिडावा

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—
वकील प्रार्थीगण :— श्री कालूराम मेघवाल
अप्राथी :— पैरोकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

आदेश दिनांक : 24.12.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम तुमडियाखैडी पटवार हल्का बोरखेडी भु—अभि0 नि0 पिडावा तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0 में स्थित आराजी खाता संख्या नया 78 पुराना 53 ख.न. 176 रकबा 0.0759 है0 ख. न. 177 रकबा 0.0379 है0 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.1138 है0 दर्ज है। नकल जमाबंदी सं. 2072—2075 प्रमाणित संलग्न है। यह कि उक्त आराजी पुश्तैनी होकर जमाबंदी खाता संख्या 34 सं. 2029—2031 में प्रार्थीगण के पिता व पति कंवरलाल आ0 गंगाराम का नाम दर्ज हो रहा है। परन्तु इससे आगे कि रोटेशन जमाबंदी में इन्द्राज करते समय राजस्व कर्म[illegible] त्रुटी (गलती) से कंवरलाल आ0 गंगाराम का नाम दर्ज [illegible] से रह गया है। प्रार्थीगण मृतक कंवरलाल आ0 गंगाराम कि मृत्यु हो चुकी है। अब प्रार्थी[illegible] मृतक कंवरलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

वैध्य वारीसान है। प्रार्थीगण का अन्य खाते खाता संख्या 98, 105, 127, में फोती नामानंतरण दर्ज होकर उसके स्थान प्रार्थीगण का नाम दर्ज हो चुका है। यह कि ग्राम तुमडियाखैडी पटवार हल्का बोरखैडी भु–अभि0 नि, क्षैत्र पिडावा कि जमाबंदी 2029–2031 के बाद की जमाबंदी में कंवरलाल आ0 गंगाराम जाति दांगी नि. तुमडियाखैडी का नाम दर्ज होने से छुट गया है जो इन्द्राज मे त्रटी (गलती) होने से दुरस्त होने योग्य है। तथा उक्त वर्णित आराजी में, मृतक कंवरलाल के जायज वारीसान जो प्रार्थीगण है का नाम दर्ज होने लायक है। यह कि प्रार्थीगण ने तहसीलदार पिडावा के यहां भी आवेदन देकर इन्द्राज दुरसती हेतु निवेदन किया परन्तु तहसीलदार महोदय, पिडावा में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा के यहॉ कार्यवाही करने हेतु कहॉ इस कारण से माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती को लेकर है। तथा राजस्व रिकार्ड में त्रुटि (गलती), सम्बंधित इन्द्राज को लेकर है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। यह कि जमाबंदी खाता संमत 2029–2031 व उसके बाद कि जमाबंदीयों में कंवरलाल आ0 गंगाराम जाति दांगी नि. ग्राम तुमडियाखैडी द्वारा उक्त आराजी में अपने हिस्से को किसी भी तरह से अन्तरण बैचान, हस्तानान्तरण करने जैसा कोई इन्द्राज भी दर्ज नही है। इससे स्पश्ट है कि रोटेशन जमाबंदी में कंवरलाल आ0 गंगाराम का नाम आगे कि जमाबंदी में कंवरलाल आ0 गंगाराम का नाम आगे कि जमाबंदी में दर्ज होने से वंचित रह गया है। जो इन्द्राज दुरस्ती का होने योग्य है। तथा मोहताज है। यह कि प्रार्थीगण मृतक कंवरलाल के स्थान पर जमाबंदी में अपना नाम दर्ज कर दुरस्त कराना चाहते है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम तुमडियाखैडी पटवार हल्का बोरखैडी भु–अभि0 नि0 पिडावा तहसील जिला झालावाड राज0 में स्थित आराजी वर्तमान खाता संख्या 78 पुराना 53 ख.न. 176 रकबा 0.0759 है0 ख.न. 177 रकबा 0.0379, है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1138 है0 आराजी में मृतक कंवरलाल के स्थान पर इन्द्राज दुरस्ती करते हुए प्रार्थीगण का नाम खाते में दर्ज [illegible] का आदेश प्रदान करने कि कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/1276 दिनांक 24.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रिर्पोट पटवारी के अनुसार प्रार्थी के पिता कंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति दांगी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2029–2031 में गांव तुमडियाखेडी की आराजी खसरा न० 176 गे० मु० चाह रकबा 0.0759 है0 ख.न. 177 कुडे की अडान बीड प्रथम रकबा 0.0379 हैं० किता 2 में हिस्सा 1/3 में खातेदार पूरा पुत्र नाराण व नन्दा पुत्र कालू व कंवरलाल पुत्र गंगाराम व धूला पुत्र कालू व भंवरिया रामा जग्गा व नन्दा पुत्र देवा व शिवलाल किशना पुत्र हरलाल हिस्सा बराबर शामलाती दर्ज था जो सम्वत 2031–2034 की जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी के पिता कंवरलाल पुत्र गंगाराम का नाम दर्ज होने से सहवन से छूट गया तथा उक्त जमाबन्दी में किसी भी प्रकार के नामा० का नोट नही लगा हैं। वर्तमान जमाबन्दी में भी प्रार्थी के पिता व उनके वारिसान का नाम दर्ज नहीं है। वर्तमान में खातेदार कंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति दांगी फोत हो चुका है। मृतक खातेदार के वेध वारिसान 2 पुत्र है 1. रामलाल 2. बालाराम एवं 1. पुत्री कंचनबाई व पत्नी धापूबाई मौजूद है। बाद जाँच रिर्पोट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेर्षित है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम तुमडियाखेडी के खाता सं. 78 किता 2 की जमाबंदी सं. 2072–75 प्रदर्श–1, खसरा नक्शा प्रदर्श–2, खाता सं0 78 की खसरा गिरदावरी सवंत् 2078 प्रदर्श–3, भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी सवंत् 2022–41 प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी सवंत् 2024–27 प्रदर्श–5, जमाबंदी सवंत् 2027–31 प्रदर्श–6, जमाबंदी सवंत् 2031–34 प्रदर्श–7, जमाबंदी सवंत् 2060–63 प्रदर्श–9, जमाबंदी सवंत् 2064–67 प्रदर्श–10, जमाबंदी सवंत् 2068–71 प्रदर्श–11, जमाबंदी सवंत् 2072–75 प्रदर्श–12, ग्राम तुमडियाखेडी के नामान्तरण सं0 [illegible]8 दिनांक 20.01.2006 की नकल प्रदर्श–8, कवंरलाल दांगी की मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 07.02.2018 की फोटोकापी, जमाबंदी सवंत् 2035–38 की फोटो प्रति, जमाबंदी सवंत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

7

2040–43 प्रदर्श–13, जमाबंदी सवंत् 2044–47 प्रदर्श–14, जमाबंदी सवंत् 2048–51 प्रदर्श–15, जमाबंदी सवंत् 2052–55 प्रदर्श–16, जमाबंदी सवंत् 2056–59 प्रदर्श–17, जमाबंदी सवंत् 2060–63 प्रदर्श–18, जमाबंदी सवंत् 2068–71 प्रदर्श–19 की सत्यप्रति तथा साक्ष्य गवाहान रामलाल पिता कवंरलाल AW-1, बल्लभलाल पुत्र पुरीलाल AW-2 , एवं मांगीलाल पुत्र गोकुल AW-3 के शपथपत्र पेश किये।

4. अप्रार्थी सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी रिपोर्ट, ग्राम तुमडियाखेडी की जमाबंदी सं. 2027–30 एवं सवंत् 2031–34 की फोटोप्रति, खाता सं0 78 की जमाबंदी सवंत् 2072–75 पेश किये।

5. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम तुमडियाखेडी की जमाबंदी सवंत् 2027–30 में वादग्रस्त आराजी खसरा न0 176 रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा न0 177 रकबा 3 बिस्वा पूरा पुत्र मांगीलाल, पुरा पुत्र नाराण, नन्दा पुत्र कालु, **कवंरलाल पुत्र गंगाराम**, धुला पुत्र कालू, एवं भंवरिया, रामा, जग्गा, नन्दा पिता देवा एवं शिवलाल, किशन पुत्र हरलाल तथा पूरीलाल, बाला आत्मज तुलसीराम एवं बाला, प्रताप पुत्र भंवर के खाते दर्ज थी लेकिन जमाबंदी सवंत् 2031–34 में वादग्रस्त आराजी खसरा न0 176 रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा न0 177 में पूरा पुत्र मांगीलाल, पुरा पुत्र नाराण, नन्दा पुत्र कालु, धुला पुत्र कालू, एवं भंवरिया, रामा, जग्गा, नन्दा पिता देवा एवं शिवलाल, किशन पुत्र हरलाल तथा पूरीलाल, बाला आत्मज तुलसीराम एवं बाला, प्रताप के नाम ही दर्ज किये जबकि राजस्व कार्मिको ने त्रुटी करते हुए कवंरलाल पुत्र गंगाराम का नाम छोड दिया था। कंवरलाल पुत्र गंगाराम इसी समय फोत हुए थे और इसलिए राजस्व कार्मिको ने उनके वारीसानो का नाम दर्ज करने के बजाय कंवरलाल का नाम ही डिलीट कर दिया गया। [illegible] र्मिको को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी खा[illegible] या सहखातेदा[illegible] नाम को डिलीट करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे कथन किया कि सेटलमेंट विभाग की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2022–41 में प्रार्थीगण के दादा गंगाराम वल्द कालू का नाम दर्ज है। राजस्व कार्मिको और सेंटलमेंट को राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टियों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा प्रार्थीगण के पिता का नाम डिलीट करने में की गई त्रुटी को दुरूस्त किया जाकर कंवरलाल का नाम दर्ज किया जावे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि सम्वत 2031–2034 की जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थीगण के पिता कंवरलाल पुत्र गंगाराम का नाम सहवन से जमाबंदी में दर्ज होने से छूट गया था। नाम डिलीट करने का उक्त जमाबन्दी में किसी भी प्रकार के नामान्तरण का नोट नही लगा हैं। वर्तमान में खातेदार कंवरलाल पुत्र गंगाराम जाति दांगी फोत हो चुका है। मृतक खातेदार के वेध वारिसान 2 पुत्र है 1. रामलाल 2. बालाराम एवं 1. पुत्री कंचनबाई व पत्नी धापूबाई मौजूद है। अतः राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीगण के पिता का नाम जोडा जावे तो पेरोकार सरकार को कोई अपत्ति नहीं है।

7. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम तुमडियाखेडी की जमाबंदी सवंत् 2027–30 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न0 176 रकबा 6 बिस्वा एवं खसरा न0 177 रकबा 3 बिस्वा पूरा पुत्र मांगीलाल हि. 1/3, पुरा पुत्र नाराण, नन्दा पुत्र कालु, **कवंरलाल पुत्र गंगाराम**, धुला पुत्र कालू, एवं भंवरिया, रामा, जग्गा, नन्दा पिता देवा व शिवलाल, किशन पुत्र हरलाल हि. 1/3 हिस्सा बराबर तथा पूरीलाल, बाला आत्मज तुलसीराम एवं बाला, प्रताप पुत्र भंवर हि. 1/3 हिस्सा बराबर के खाते दर्ज थी। इसी प्रकार ग्राम तुमडियाखेडी की भूप्रबंधस विभाग की जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श 4 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न0 176 रकबा 6 बिस्वा एवं न0 177 रकबा 3 बिस्वा पूरा पुत्र मांगीलाल हि. 1/3, पुरा पुत्र नाराण, नन्दा पुत्र कालू, **गंगाराम वल्द कालू**, धुला पुत्र कालू, एवं भंवरिया, रामा, जग्गा, नन्दा पिता देवा व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

शिवलाल, किशन पुत्र हरलाल हि. 1/3 तथा पूरीलाल, बाला आत्मज तुलसीराम एवं बाला, प्रताप पुत्र भंवर हि. 1/3 के खाते दर्ज थी। ग्राम तुमडियाखेडी की खसरा गिरदावरी सं. 2024–27 प्रदर्श 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 176 व 177 में गंगाराम वल्द कालू का नाम दर्ज है जबकि गिरदावरी के कालम सं. 41 विशेष विवरण में गंगाराम का इन्तकाल होना अंकित है। अतः स्पष्ट है कि सहखातेदार गंगाराम वल्द कालू सं. 2024–27 के बीच में फोत होने से जमाबंदी सं. 2027–31 प्रदर्श 6 में गंगाराम के स्थान पर कंवरलाल आ. गंगाराम का नाम दर्ज किया गया था। खसरा गिरदावरी सं. 2028–31 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 176 व 177 में गंगाराम वल्द कालू की जगह कंवरलाल वल्द गंगाराम का नाम दर्ज कर दिया गया है ग्राम तुमडियाखेडी की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2031–34 प्रदर्श 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन राजस्व कार्मिको ने बिना कोई नामान्तरण या नोट अंकन किये बिना कंवरलाल पि. गंगाराम का नाम जमाबंदी में खातेदार की प्रविष्टि से हटा दिया गया। खातेदारो की प्रविष्टि में केवल पूरा पुत्र मांगीलाल हि. 1/3, पुरा पुत्र नाराण, नन्दा पुत्र कालु, धुला पुत्र कालू, एवं भंवरिया, रामा, जग्गा, नन्दा पिता देवा व शिवलाल, किशन पुत्र हरलाल हि. 1/3 हि.ब. तथा पूरीलाल, बाला आत्मज तुलसीराम एवं बाला, प्रताप पुत्र भंवर हि. 1/3 हि.ब. के नाम ही दर्ज है। राजस्व कार्मिको ने उक्त नामों में से कई के सामने कॉस का चिन्ह अंकित कर रखा है। उक्त चिन्ह का अंकन किस आधार पर किया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं है।

ग्राम तुमडियाखेडी की जमाबंदी सं. 2035–38, 2040–43 प्रदर्श 13, सं. 2044–47 प्रदर्श 14, सं. 2048–51 प्रदर्श 15 एवं सं. 2052–55 प्रदर्श 16 में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं है और ना ही नाम डिलीट करने का कोई नोट अंकन है। **प्रार्थीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाह एडब्ल्यू 1 रामलाल, एडब्ल्यू 2 वल्लभलाल दांगी एवं एडब्ल्यू 3 मांगीलाल दांगी ने अपने सशपथ बयानो में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी पर पहले कंवरलाल का एवं अब प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है।** उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम तुमडियाखेडी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 176 व 177 में खातेदार कंवरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पि. गंगाराम का नाम राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के गलत तरीके से कम कर दिया गया है जबकि राजस्व कार्मिको को राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टियों में बिना सक्षम आदेश के परिवर्तन करने का कोई हक या अधिकार नहीं है। पेरोकार सरकार का कथन है कि उक्त त्रुटी सहवन से हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः उक्त त्रुटी सहवन से हुई एक लिपीकीय त्रुटी है जिसे धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा। यहां धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधानो का अवलोकन सुविधा के लिए निम्नानुसार है–

<u>136. Correction of errors</u> – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम तुमडियाखेडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 176 रकबा 0.0759 है. एवं ख.नं. 177 रकबा 0.0379 है. किता 2 के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::<u>क्रियात्मक आदेश</u>::–

9. परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाकर ग्राम तुमडियाखेडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 176 रकबा 0.07[illegible] है. एवं ख.नं. 177 रकबा 0.0379 है. किता 2 के मूल खातेदार पुरा पुत्र नाराण, नन्दा पुत्र कालु, धुला

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र कालू, एवं भंवरिया, रामा, जग्गा, नन्दा पिता देवा व शिवलाल, किशन पुत्र हरलाल हि. 1/3 हिस्सा बराबर के साथ **कवंरलाल पुत्र गंगाराम** का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खातेदारान के हिस्से यथावत रखे जावे। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:40:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner